

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**

S.B. Criminal Appeal No. 820 / 2014

State

----Appellant

Versus

Ashok & Ors.

----Respondent

लोक अभियोजक श्री एल आर उपाध्याय, उपस्थित।

माननीय न्यायाधिपति श्री संदीप मेहता
आदेश/निर्णय

17/07/2017

विद्वान लोक अभियोजक द्वारा प्रत्यर्थी का हालिया पता प्रस्तुत कर दिया गया है जिसके अनुसार प्रत्यर्थी के विरुद्ध आठ सप्ताह में वापसी योग्य जमानती वारंट जारी कर संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक को वास्ते तामील भिजवाया जाए।

(संदीप मेहता)
न्यायाधिपति

एस.एन.लोहरा / 23

सत्यमेव जयते